

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 29-01-2021

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से दीवानी प्रकरणों में पैरवी हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2020 द्वारा नवनियुक्त निम्नांकित एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिलगण एवं डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग तत्काल प्रभाव से आवंटित किये जाते हैं:-

S.No.	Name of Counsel	Department
01	Shri Indushekhar Pareek (Additional Govt. Counsel)	Technical Education, Revenue (Service matters), Agriculture (Service matters) Department
02	Shri Arun Kumar (Additional Govt. Counsel)	Sanskrit Education, Bhasa, Command Area, Planning & Manpower Department
03	Shri Anand Prakash (Deputy Govt. Counsel)	DPR, Agriculture (Other than Service matters), Archology, Relief Department

आज्ञा से,

—इं—  
(विनोद कुमार भारवानी)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी (वाई), मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
3. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
4. निजी सचिव सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने विभाग के प्रकरणों में नियुक्त प्रभारीगण को निर्देशित करे कि पूर्व में नियुक्त कौंसिलगण से उनके कार्यालय/निवास पर सम्पर्क कर उनके विभाग से संबंधित समस्त न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर उपरोक्त नवनियुक्त कौंसिलगण को सम्भलवावे एवं प्राप्त की गयी पत्रावलियों की सूचना इस विभाग को प्रेषित करे।
5. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
6. राजकीय अधिवक्तागण/गवर्नमेंट काउन्सिलगण, जयपुर/जोधपुर।
7. संबंधित कौंसिलगण।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, जोधपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

—इं—  
(हुकम सिंह राजपुरोहित)  
शासन सचिव, विधि